

हिन्दूमाली

१-समिति का नाम :- श्री रामरेश यादव कृष्ण महाविद्यालय समिति ।

२-समिति का पूरा पता :- ग्राम-मोलनापुर, पौरो दुपारी, तहसील मध्यब्जन
जिला-मध्य प्रदेश।

३-समिति का कार्यालय:- सम्भुर्ज उत्तर प्रदेश।

४-समिति की सदस्यता तथा सदस्यों के कर्म :-

५॥ विभिन्न सदस्य :- वे व्यक्ति जो समिति को ₹. 5000/- पाँच हजार रुपये नकद या उतने को ही समाप्ति घन्दा के स्थैतिक देंगे, तमिति के विभिन्न सदस्य होंगे इनकी सदस्यता आमतौर पर होगी।

विभिन्न सदस्य तमिति के आजीवन होंगे। इनके अधिकारित रुपये ₹. 150/- एक हजार पाँच सौ रुपये नकद या उतने ही रुपये की समाप्ति को घन्दा देने इन व्यक्ति समिति के सदस्य होंगे।

६॥ सदस्य जिन्हें आजीवन सदस्य कार्य संचालन हेतु आठ लाख रुपये तभायोजित होंगे समिति के लामान्य सदस्य होंगे। ऐसे सदस्यों की सदस्यता गुण्डा रुपया 500/- नकद या समिति घन्दा के स्थैतिक दो देना पड़ेगा। इनका कार्यकाल समायोजन की तिथि तो तीन वर्ष अवधि अगले युनाव तक होगा।

छोटी भी सदस्य की सदस्यता या पद निम्न कारणों से प्रबन्धिति के अनुमोदन पर साधारण सभा के प्रत्यावर सर्व भूत्तुति हे आधार पर समाप्त की जा सकती है। कारण का तदाम प्रमाणपत्र सभा को प्रसुत करना पड़ेगा परन्तु तभी लागू होगा जब उन लोगों पर महाभियोग ताधारपर सभा के माध्यम से लाया जायेगा तथा महाभियोग 3/4 सदस्यों की उपस्थिति में इनके हस्ताधार ते पारित होगा।

७-सदस्यता की समाप्ति :-

रामरेश

१९६१

संसदीकृत पाठ्य

सत्य-प्रतिलिपि

८॥ वह दुरापार के कारण राज्य तरकार या केन्द्र सरकार पर त्यानीय प्राक्षिरण को लेवा से पदच्युत छिया गया होगा।

रामरेश निदेशक

संसदीकृत पाठ्य

आजमगढ़

९॥ जनु-सरकार दिवालिया होगा

१०॥ वह नीतिक पतन मारल टप्पु है तस्वीरि-प्रतिलिपि भारत

३४ वह तमिति का सदस्य अर्थात् पदाधिकारी होने पर उक्ते कार्य का पालन नहीं करता हो अथवा संस्था विरोधी कार्य में लिप्त हो गया हो।

३५ यदि वह सदस्यता शुल्क नहीं बमा किया हो।

३६ यदि यदि किसी कारण वश मृत्यु होने या पालन होनपर सदस्यता तभा पा हो जाएगी।

३७ पर्दि कोई सदस्य अवकाश शुल्क बरना चाहता हो या प्रबन्ध तमिति के अध्यक्ष द्वारा तय किये गये समय तक स्वेच्छा नहीं आता है।

३८ तमिति वा होई श्री पदाधिकारी पर्दि साधारण तभा के सदस्यता से विचित कर दिया गया हो तो वह तमिति के पदाधिकारी अथवा सदस्य पद से त्यतः डटा हुआ माना जायेगा।

६-तमिति के अंग:- तमिति के मिनीलिपि अंग होंगे:-

१-ताधारण तभा २-प्रबन्धकारी तमिति।

७-साधारण तभा ८-नियन्त्रण:- उनमध्यमात्रावाली के लग ५ के सभी प्रकार के सदस्यों द्वारा उपर्युक्त तभा डा इन डोनगा।

दैठके:-

९- साधारण तभा जो प्रेत्वर्वर्ष में लग से लग दो बार नियमानुसार उपस्थित होगी।

१०- तृष्णनावधि:- ताधारण तभा को दैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि तमिति एवं स्थान पर वर्ष में दो बार अध्यक्ष वा अनुमति से बुआई जाएगी। फिर भी तृष्णना की तिथि से १५ दिन पूर्व तभी सदस्यों द्वारा उपित ढंग से दी जायेगी। विशेष परित्याकारों में दैठक वा सूखमा तभी सदस्यों को लग से लग तम्भ में भी दी जा सकती है।

११-गणपूर्ति:- ताधारण तभा की गणपूर्ति 2/3 होगी।

१२- विशेष वार्षिक अधिकारान वा विधि आदि:- माह बून में होगी।

१३- साधारण तभा के कर्दम्य एवं उचिताभार:-

नये सदस्यों वा सदस्यता स्वीकृत बरने के अंतिरिक्त ताधारण तभा प्रबन्धकारिता तमिति के कार्यों वा तभीका एवं मूल्याङ्कन

करने वा अधिकार रखती है तथा तमिति के किंचत् तम्भित तंयालन आदि एवं स्थानपर्वती निर्देश देगी। प्रबन्धकारी तमिति

के सदस्यों वा उन्नाय अपने व्युत्तते हैं। —२० प० ३०

सत्य-क्रिलिपि
सहायक निवारक
सोसाइटीज एवं चिरा
आजगम

८- प्रबन्धकारियों समिति:-

॥ अः गठन॥:- जिसमें ७ पदाधिकारी एवं ६ सदस्य होंगे

कुल तंहया १३ की होगी जो आवश्यकतानुसार घटायी
या बढ़ाई जा सकती है।

॥ व॥, प्रबन्धकारियों समिति की वैठाई:-

तामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक
आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

॥ त॥ तृण-अवधि:- प्रबन्धकारियों समिति के साथारण

बैठक के लिये कम से कम ७ दिन एवं विशेष बैठक के १
लिये ३ दिन की तृणा अध्यक्ष द्वारा दो जाएंगी
जिसमें तमस व लधान निश्चित होंगा।

॥ द॥ गणपूर्ति:- बलधारियों की गणपूर्ति २/३ होगी।

॥ प॥ प्रबन्धकारियों समिति के विकल स्थानोंकी पूर्ति:- ५
दोषपूर्ति भी इस स्थान विकल द्वारा है साथारण
समा २/३ लमा से होता।

॥ इ॥ प्रबन्धकारियों समिति का कार्यकाल:-

प्रबन्धकारियों समिति का कार्यकाल ५ वर्ष का होगा।

९- प्रबन्धकारियों समिति के पदाधिकारियों के उपिकार एवं कर्तव्यः-

॥ १॥ अध्यक्षः-

पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं उपिकार निम्न हैं:-

१- समिति की किसी भी बैठक और अध्यक्षा करना।

२- बैठके करने के लिये दिनांकों का अनुमोदन करना
और उत्तर्में प्रतिवर्ती करना।

३- समिति के ड्राप-च्यव दा निरोक्षण करना।

४- कर्मान्वयों के निलम्बन निष्ठालाल की अपील तृणा
व समिति को आवश्यक तुद्वाव देना।

५- समिति से तम्बन्धका तमस्त अनुबन्धों तथा संस्था
के तम्बन्धका हस्तान्तरण संविदों के समस्त अभिलेखों

तथा अप्य लेखों पर प्रबन्धक के साथ हस्ताक्षर करना
तथा तस्था समिति एवं समा ने तम्बन्धका समस्त

कानूनी कार्यवाहियों का अनुमोदन करना तथा
सत्यापित करना।—२०४००

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक नियंत्रक

संस्कृतीज समा विद्य

जागरण

6-समिति को सुधार लय ते संघालित करने हेतु प्रबन्ध

कारिणी समिति को आवश्यक सुधार व निर्देश ।

देना तथा अन्तिम निर्णय समिति को मान्य होगा।

7-से अन्य अधिकारों का प्रयोग करना और ऐसे

अन्य कर्तव्यों का पालन जो तत्त्वमय प्रभालित

नियम व विधि द्वारा उते दिये गये हों।

1-अध्यक्ष की उपायिति मै या उसके अपने कर्तव्यों

का पालन करने मै अलमर्थ हो जाने पर अध्यक्ष

अध्यक्ष के रूप मै कार्य करेगा।

2-ऐसे तमस्त अधिकार का प्रयोग तथा कर्तव्यों का

पालन करना जो अध्यक्ष द्वारा उते नियमिति

स्पृहे प्रतिनिधित्व किये जाए हों।

3-समिति के तमस्त लेखों का लेखापति करना और अ

मलों विधिक लेखापति का प्रबन्ध करना।

2-समिति के अध्यक्षतयों के बाहर हुँडियों तथा देय

प्राप्तिकार का भुलान स्थीरूप करना और समिति

द्वारा प्राप्तिकार का अन्य तेवाओं तथातामा

ग्रियों के लिये भुलान स्थीरूप करना और समिति

द्वारा प्राप्तिकार का तेवाओं तथा सामा

ग्रियों के भुलान स्थीरूप करना समिति के सम्बन्धि

तमस्त अनवन्धों तथा तेस्था ते सम्बन्धि हत्ताना-

न्तरणा तेविदों समता जमिलों तथा अन्य लेखों पर

हत्ताना द्वारा करना। तथा समिति एवं समा ते सम्बन्धि

तमस्त कानूनी कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व

करना और इन कार्यवाहियों मै उनको जोर से उत्ता

दार करना तथा उन्हें तत्त्वापित करना।

4-आर्थिक कार्यों की तृष्णा आवश्यकतानुसार प्रबन्धक

कारिणी समिति को देना उसको रूपीकृति प्राप्ति

करना और उसके प्रति उत्तारदायी होना।

12) उपायिता:-

13) प्रबन्धक:-

समिति का अधिकारी

5-समिति के प्रबन्ध तथा प्रशासन के सम्बन्ध में समस्त पत्र व्यवहार रजिस्टरों तथा पुस्तकों का अभियोग रखना तथा आवश्यकता पड़ी पर जट्ठयक्ष ते परामर्श लेना।

6-उत्कृ दारा में जब प्रधानाधार्य में ऐसा अधिकार निहित हो तमिति द्वारा पुरिष्ठत तीमा तक तंत्या के कर्म यारियाँ को छुट्टों स्थोलूत करना।

7- शिक्षाक, अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा शिक्षण-तार तथा जन्य वर्षारियाँ को निलम्बित करना तार की गयी कार्यवाही ते प्रबन्धकारिणी समिति को तृप्ति करना।

8- बैठक वार-कार्यवाही रखना और तंत्या के प्रबन्ध अप्रा प्रशासन के सम्बन्धमें समस्त पत्र व्यवहार रजिस्टर तथा पुस्तकों का उल्लेख करना तथा गुरुदिवाप इकाई/रखकालीन।

9-अप्रा अधिकारों का अधिकार भी जन्य वर्षारियाँ का पालन करने को तत्त्वज्ञ प्रघातित किसी भी नियम द्वारा विचारित दारा उते दिये गये हों।

प्रबन्ध की अनुपस्थिति में पा उते अपने कर्त्तव्यों व अधिकारों का पालन करने में असमर्थ होने पर प्रबन्ध अत्यर्जु वर्षारियाँ व अधिकारों का पालन उपप्रबन्धक करेगा।

अग्राह एव प्रबन्ध की तलावे से बैठकों का आयोजन करना। बैठक की कार्यवाही को निखार, पढ़ना तथा कार्यवाही के अन्त में डस्टावार अध्यक्ष से करना सम्बन्धित अभियोगों के रख-रखाव की जिम्मेदारों में से पर होना।

1-समिति के लिये तमस्त अनुदान, दान तथा घन्ते, पुस्तक छरना, तथा यथा विचार समीक्षा करना।

2- समिति के निर्देशाँ के अपीन रहो हुये तंत्या में सम्बन्धित एवं घराशियाँ छाड़ नियिकाँ, जो उड़वर।

—३००००००

उप-कृष्णाधः -

5- मैत्री :-

6-कौथार्यदः -

सत्य-प्रतिलिपि

सामाजिक नियंत्रण

सामाजिक व्यवहार विद्या

कालान्तर

की तुरहात जमिरखा तथा विनियोजन का प्रबन्ध करना।

3- पृष्ठ-फारी के समिति के अनुभोदन तथा सुझाव के लिये अनुमति द्वाय-व्यय का चौरा तैयार करना नियमों तथा स्वीकृति के शास्त्रों के अधीन रहते हुये छठ में किये गये व्यवस्था के भीतर तंत्या के हित का प्रशासन रवै नियन्त्रण रखना।

4-नियमों तथा स्वीकृति के शास्त्रों के उपरन रहते हुये छठ में किये गये व्यवस्था के भीतर तंत्या के हित का प्रशासन रवै नियन्त्रण रखना। कैरेक्टरों व ऐकों को छोड़कर वित्त सम्बन्धी तभी अधिकारी को अने पात रखना।

7- आय-व्यय निरीक्षण:-

1- संस्का के समकल आय-व्यय का निरीक्षण करना।

2- आय-व्यय निरीक्षण वर्ष में कम से कम सू. छाए तमिति संत्या के लिये निकापरीष्ठर करेगा और निकापरीष्ठर की एक प्रतितंत्या के आय-व्यय किकारण के संघरण करेगा।

10-संत्या के नियमों एवं विनियमों में क्षेत्रीय प्रणिया:-

रामारोगी

कालान्तरीय
नियमों में

11-संत्या का कौटा:-

तमिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति में साधारण तभा की बैठक में इसके दो फिरहाई बहुमत एवं उद्यहा औ स्वीकृति के समिति के नियम एवं विनियमों में क्षेत्रीय एवं परिवर्तन किया जायेगा।

विसी भी स्थानीय राष्ट्रीयकूल के पाण्डित आप्स्त्रीय भी तमिति के नाम से खाता खीलकर पृष्ठ-फारी के हस्ताक्षर से उक्त खाते छाते का संयोग किया जायेगा।

12-संत्या के आय-व्यय का निकापरीष्ठर [आडिटर] :- वर्ष में एक बार किसी यौग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

12- समिति द्वारा अध्यक्ष उत्तर के विस्तृत उदाहरणों का संयोजनः -

सेवा ते सम्बन्धित समस्त कानूनों कार्यवाही का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष का उत्तरदायित्व हागा।

13- समिति के अधिकारों :-

1- सदस्यता रजिस्टर।

2- कार्यवाही रजिस्टर।

3- स्टाफ रजिस्टर।

4- प्रत्यक्षवहार रजिस्टर।

5- ज्ञान कुक्ष जारीदा

14- सेवा का विकल्प और विभिन्न समिति के नियामण की जार्यवाही :-

तथा उन विवरणों और विविल समिति के नियामण की सम्पर्क समिति अन्तर्यामी रजिस्ट्रेशन एकट को धारा 13-

14 के उन्नीसी तमाम की जायेगी।

दिनांक: --०१.५.७८ तत्प्रतिलिपि: - सदस्यों के हस्ताक्षर: -

सत्य-प्रतिलिपि

संचालक विद्यक

सोसाइटीज एवं विद्य

आजगाह

14/5/05

रामाराम

रामाराम

रामाराम

रामाराम

रामाराम